... निवासी
...ढ़, तहसील तिंवरी, जिला जोधपुर।

बनाम

प्रतिवादी:– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तिंवरी।

उपस्थित –

वादी की ओर से – अधिवक्ता श्री राजेन्द्र चौधरी।
प्रतिवादी की ओर से – सरकारी पैरोकार।

<u>वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम व 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956</u>

–::निर्णय::–

दिनांकः– 12/3/22

वादी द्वारा एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम व 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम का इस आशय का प्रस्तुत किया कि– सरहद मौजा बस्सीनगर पटवार हल्का बड़ला बासनी, तहसील तिंवरी के खेत खसरा नम्बर 172/1 रकबा 30 बीघा 12 बिस्वा भूमि वादी व अन्य खातेदारान की खातेदारी की आई हुई है। वादग्रस्त भूमि वादी व अन्य के द्वारा खरीद की गई थी जिसका बेचान नामा उप पंजीयक कार्यालय ओसियां में पंजीबद्ध है। जिसमें वादी का नाम दामोदरसिंह पुत्र हरीसिंह दर्ज कर दिया तथा उसी अनुसार नामान्तरकरण दर्ज किया जाकर राजस्व रेकर्ड में वादी का नाम दामोदरसिंह दर्ज हो रखा है। जबकि वादी का सही नाम दमसिंह है। वादी के आधार कार्ड, मतदाता परिचय पत्र, पेन कार्ड, ड्राइविंग लाईसेन्स, राशन कार्ड आदि में वादी का नाम दमसिंह राजपुरोहित पुत्र हरिसिंह है जबकि वादी द्वारा भूमि खरीद करते वक्त टंकणीय त्रुटि से वादी का नाम दामोदरसिंह पुत्र हरीसिंह दर्ज कर दिया इसी अनुसार वर्तमान राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। जबकि वास्तव में वादी का नाम दमसिंह राजपुरोहित है तथा अन्य भूमि खसरा नम्बर 171/25, 171/17, 171/27, 171/26 मौजा बस्सीनगर के राजस्व रेकर्ड में भी वादी का सही नाम दमसिंह दर्ज है। इसलिए वादी वादग्रस्त भूमि के राजस्व रेकर्ड में दर्ज दामोदरसिंह के स्थान पर दमसिंह राजपुरोहित पुत्र श्री हरिसिंह करवाना चाहता है। जिससे वादी को अपने हक हिस्से की भूमि में विकास कार्य करवाने में समस्या न हो। वादी के आधार कार्ड, पेन कार्ड मतदाता परिचय पत्र, ड्राईविंग लाईसेन्स, राशन कार्ड आदि की फोटो प्रतिलिपि वाद पत्र के साथ संलग्न है। इस प्रकार राजस्व रेकर्ड में दर्ज वादी का गलत नाम के स्थान पर सही नाम दर्ज कर राजस्व

Scanned with CamScanner

रेकर्ड शुद्ध किया जाना आवश्यक है। वाद वादी स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त भूमि सरहद मौजा बस्सीनगर पटवार क्षेत्र बड़ला बासनी तहसील तिंवरी के खेत खसरा नम्बर 172/1 रकबा 30 बीघा 12 बिस्वा भूमि के राजस्व रेकर्ड में दर्ज वादी का नाम दामोदरसिंह पुत्र हरिसिंह के स्थान पर दमसिंह राजपुरोहित पुत्र हरिसिंह के नाम खातेदारी घोषणा की जाकर राजस्व रकर्ड में नाम शुद्ध किये जाने का आदेश सादिर फरमाया जावें।

वादी उक्त वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर जरिये नोटिस प्रतिवादी को तलब किया गया। प्रतिवादी की ओर से सरकारी पैरोकार उपस्थित हुए। प्रतिवादी की ओर से जवाब प्रस्तुत किया गया कि वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों की बिनाह पर दुरस्ती की जाती है तो राजहित प्रभावित नहीं होगा। प्रतिवादी का जवाब दावा शामिल पत्रावली किया गया।

वादी अधिवक्ता की बहस सुनी गई बहस पर मनन किया, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया जिससे यह स्पष्ट है कि वादी का नाम राजस्व रेकर्ड में दामोदरसिंह पुत्र हरिसिंह के स्थान पर दमसिंह पुत्र हरिसिंह शुद्ध किया जाना उचित है। इसलिए वादी का वाद पत्र स्वीकार योग्य है।

—::आदेश::—

अतः वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर वादी की खातेदारी भूमि ग्राम बस्सीनगर पटवार क्षेत्र बड़ला बासनी तहसील तिंवरी के खेत खसरा नम्बर 172/1 रकबा 30 बीघा 12 बिस्वा भूमि के राजस्व रेकर्ड में दर्ज वादी का नाम दामोदरसिंह पुत्र हरिसिंह के स्थान पर दमसिंह पुत्र हरिसिंह दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है। पालना हेतु तहसीलदार तिंवरी को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, ओसियां

आज दिनांक 12/5/12 को खुला न्यायालय में आदेश सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, ओसियां

Scanned with CamScanner